रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 90] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 1974/चैत्र 26, 1896
No. 90] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 1974/CHAITRA 26, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April 1974

G.S.R 179(E).—The following Order made by the President on 4th April, 1974 is published for general information:—

THE STATES REORGANISATION (GOVERNORS' ALLOWANCES AND PRIVILEGES) AMENDMENT ORDER, 1974

In exercise of the powers conferred by section 73 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956), I, V. V. Giri President of India, hereby makes the following Order further to amend the States Reorganisation (Governors' Allowances and Privileges) Order, 1957, namely:—

1. This Order may be called the States Reorganisation (Governors' Allowances and Privileges) Amendment Order, 1974.

2. In the States Reorganisation (Governors' Allowances and Privileges) Order, 1957, in the Second Schedule, after proviso (6), the following proviso shall be inserted, namely:—

"(7) Provided further that for the financial year 1972-73, this Schedule shall, in so far as it relates to the State of Maharshtra, have effect as if for the figures, "30,000", "1,50,000" and "5,00,000" occurring in columns 2, 7 and 9 thereof, the figures "79,981", "2,23,277" and "6,22,258" had respectively been substituted.".

V. V. GIRI.
President.

[No. 2/21/73-Pub-I(States)]
P. P. NAYYAR, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1974

सा० का० नि० 179 (अ).—4 अप्रैल, 1974 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

राज्य पुनर्गठन (राज्यपालों के भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन आदेश, 1974

मैं, व० वे० गिरि, भारत का राष्ट्रपति, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य पुनर्गठन (राज्यपालों के भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता हूं, अर्थात :—

1. इस आदेश का नाम राज्य पुनर्गठन (राज्यपालों के भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन आदेश, 1974 है ।

2. राज्य पुनर्गठन (राज्यपालों के भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश 1957 में, द्वितीय अनुसूची में, परन्तुक (6) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(7) परन्तु यह और भी कि वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिए, इस अनुसूची का, जहां तक वह महाराष्ट्र राज्य से सम्बन्धित है, ऐसा प्रभाव होगा मानो उसके स्तम्भ 2, 7 और 9 में आने वाले "30,000", "1,50,000" और "5,00,000" अंकों के स्थान पर क्रमशः "79,981", "2,22,277" और "6,22,258" अंक रख दिए गए हैं ।" ।

व० वे गिरि,
राष्ट्रपति ।

[सं० 2/21/73–पब्-1 (स्टेट्स)]

पी० पी० नय्यर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974